



t; ukjk; .k 0; kl fo'ofok/ky;] tkski g
Vh Vhpj , T; wds'ku VLV&2010%

Tel.: 0291-2652653, 2635597, 2635598 (O)
98280-33916 (Mobile)

प्रो. ए.के. मलिक
समन्वयक

क्रमांक: पीटीईटी/बीएड महा./2010/3911.

दिनांक : मई 07, 2010

प्राचार्य,
समस्त बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
राजस्थान।

Urgent - Speed Post

विषय: सत्र 2010-2011 हेतु आपके महाविद्यालय से संबंधित सूचना भिजवाने बाबत।

महोदय/महोदया,

राजस्थान के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सत्र 2010-2011 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में प्री-टीचर एज्यूकेशन टेस्ट-2010 का आयोजन इस विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जा चुका है। परिणाम से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संबंधित सूचनाओं की जानकारी इस कार्यालय को चाहिये। वेबसाइट www.ptetjnvu.org ij mi yck inst_detail.xls Qkby dks MkmuykM dj ya vki ds eglfo/ky; Is l ckr l Hh l pu; i MkmuykM dh gpz Qkby es fu/Mkr LFkuka es Hkj dj vko'; d : i Is bl Qkby dks, d l Hh es dHh dj ds bl ds l kfk निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों सहित, जो प्राचार्य द्वारा सत्यापित हो, भेजने का कष्ट करें ताकि महाविद्यालयवार सूचना संकलित कर, तदनुरूप ही कार्यवाही की जा सके :

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से महाविद्यालय को मान्यता की सत्यापित प्रति।
2. राज्य सरकार से सत्र 2010-11 हेतु पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र/नवीनीकरण की सत्यापित प्रति।
3. शिक्षा निदेशालय, बीकानेर से महाविद्यालय को सत्र 2010-11 के लिए आवंटित की गई संकायवार सीटों/विषयों के पुनः निर्धारण आदेश / संशोधित आदेश की सत्यापित प्रति। (राज्य सरकार ने प्रवेश पूर्व परीक्षाओं हेतु जयपुर में रखी बैठक दिनांक 16.12.2009 में यह निर्णय लिये गये है कि :
अ) बी.एड. प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रति यूनिट 7 व्याख्याताओं के रखने का प्रावधान है इस प्रकार एक महाविद्यालय में अधिकतम 7 विषय ही आवंटित किये जाने चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सत्र 2010-11 के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उपलब्ध व्याख्याताओं के अनुसार विषयों का आवंटन किया जाए ताकि छात्रों के अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके।
ब) इसके साथ ही वर्तमान में एन.सी.टी.ई. से प्राप्त मान्यता सीटों में से 50 प्रतिशत कला, 30 प्रतिशत विज्ञान एवं 20 प्रतिशत वाणिज्य संकाय की आवंटित की जाती है। विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के छात्र उपलब्ध नहीं होने के कारण कला संकाय में सीटों का परिवर्तन करने के साथ-साथ कला संकाय की तुलना में इन संकायों की कट प्वाइंट में बहुत अन्तर रहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सत्र 2010-11 में सीटों की पुनः समीक्षा कर 70 प्रतिशत कला संकाय 20 प्रतिशत विज्ञान एवं 10 प्रतिशत वाणिज्य संकाय के अनुपात में सीटें आवंटित की जायें। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यह भी ध्यान रखा जाये कि संस्था में आवंटित विषय कला एवं विज्ञान संकाय अथवा कला एवं वाणिज्य संकाय ही रखे जाये।)
4. सम्बद्धता प्रदत्त करने वाले विश्वविद्यालय से जारी महाविद्यालय को I = 2010&11 ds fy, संबद्धता/नवीनीकरण पत्र की सत्यापित प्रति।
5. यदि महाविद्यालय का NCTE से मान्यता एवं राज्य सरकार से एन.ओ.सी. मिलने के पश्चात पता परिवर्तित हुआ है या महाविद्यालय स्वनिर्मित अन्य भवन में स्थानान्तरित हुआ है तो इस हेतु NCTE एवं राज्य सरकार के आदेश/अनुमति की सत्यापित प्रति।

राज्य सरकार के आदेशानुसार उपरोक्त सूचनाएं/दस्तावेजों की प्रतियां fnukad 15 ebj 2010 rd इस कार्यालय में पहुँचने पर ही शिक्षक प्रशिक्षणार्थी आवंटन हेतु की जाने वाली कॉउन्सलिंग में आपके महाविद्यालय को सम्मिलित किया जा सकेगा।

आपसे यह भी अपेक्षा है कि समय-समय पर पीटीईटी वेबसाइट www.ptetjnvu.org पर महाविद्यालयों से चाही गई सूचनाओं का भी ध्यान रखें ताकि आपसे अपेक्षित अन्य सूचनाएँ, यदि कोई हो, का कम समय में संकलन किया जा सके।

भवदीय

(प्रो. ए.के. मलिक)
समन्वयक, पीटीईटी